न्यायालय–नसीम नजर, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज

बंटवारा वाद सं0–39/2022

गीतारानी दासी.....वादी

बनाम

रखाल दास उर्फ सवाल दास एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
05.02.2025	वादी की ओर से पैरवी है। आज अभिलेख वादी की ओर से दिये गये आवेदन दिनांक 24.10.2024 आदेश हेतु नियत है। वादी की ओर से दिनांक 24.10.2024 को आदेश 39 नियम 01, 02 एवं दफा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अतंर्गत आवेदन दिया गया है। **आदेश (ORDER)** वादी के द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक 24.10.2024 में कहा गया है कि प्रस्तुत वाद में वादपत्र के मद सं0–02 अर्जी नालिश में दी गई भूमि में वादिनी एवं प्रवितादी सं0–02 ता 06 का हिस्सा बकदर 1/4 के निस्वत बंटवारा के साथ–साथ अन्य अनुतोषों हेतु लाया गया है। चन्द्रकांत दास अपनी जौजा एवं चार लडके नेपाल चन्द्र दास रखाल दास उर्फ सवाल दास, पल्दु दसा एवं दुलाल दास को छोडकर वर्ष 1980 में मर गये तथा इनकी जौजा भी वर्ष 1985 में मर गयी। नेपाल दास को मौजा तिलोजपुर की एराजियात मवाजी 01 एकड 93 डी0 बकैद सर्वेहाल खाता–58/84, 84, 44 एवं मौजा कवलापुर की एराजी मवाजी 60 डी0 सर्वे खाता–30/147, 147 एवं मौजा बरवाडीह की एराजी मवाजी 01 एकड 65 डी0 सर्वे खाता–55/41, 41 थी यानि कुल एराजी मवाजी 04 एकड 18 डी0 थी। मौजा बकुलहीया में चन्द्रकांत दास के नाम की खरीदगी एराजी	

न्यायालय–नसीम नजर, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज

बंटवारा वाद सं0–39/2022

गीतारानी दासी.....वादी

बनाम

रखाल दास उर्फ सवाल दास एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 05.02.2025	मवाजी 07 कट्ठा 07 धुर यानि 49 डी0 भूमि जिसका सर्वेहाल खाता–214, 246 हासिल थी। चन्द्रकांत दास बंगाली शरणर्थी थे इनको सरकार द्वारा पुर्नवास विभाग से 04 एकड 18 डी0 भूमि मिला था जिसका जोत आबाद करके अपने परिवार का भरण पोषण करते थे और मेहनत मजदुरी करके 49 डी0 भूमि खरीद भी किये थे जो उनके दखल कब्जा में था। चन्द्रकांत दसा को कुल 04 एकड 67 डी0 भूमि मौजा तिलोजपुर, कवलापुर, बरवाडीह एवं बकुलहीया में हासिल था, जिसका विवरण मद सं0–02 में दिया गया है, यही बंटवारा तलब जायदाद है। चन्द्रकांत दास एवं उनकी जौजा के मरने के बाद उनके चारों लडके कुल एराजियात पर इजमालन दखल कब्जा में चले आये। चन्द्रकांत दास के लडके नेपाल चन्द्र दास की जौजा वादी है और इनके चारों लडके प्रतिवादी सं0–02 ता 05 है तथा इनकी एक लडकी प्रतिवादी सं0–06 है, चन्द्रकांत दास के लडके रखाल दास उर्फ सवाल दास प्रतिवादी सं0–07 एवं 08 है। मद सं0–02 की भूमि पर आज तक कोई बजाप्ता बंटवारा आर डरेर देकर नहीं हुआ है। नेपाल चन्द्र दास, रखाल दास उर्फ सवाल दास, पल्टु दास एवं दुला दास करीब 10–15 साल कवल एलहदे हो गये एवं इनका खाना पीना अलग हो गया है। प्रतिवादी सं0–07 एवं 08 वाद में उपस्थित होकर अपना बयान तहरीरी दाखिल नहीं किये है।	

न्यायालय–नसीम नजर, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज

बंटवारा वाद सं0–39/2022

गीतारानी दासी.....वादी

बनाम

रखाल दास उर्फ सवाल दास एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 05.02.2025	प्रतिवादी सं0–07 एवं 08 काफी मुहजोर एवं लठियत किस्म के व्यक्ति है, जो वादी को दखल कब्जा वाली भूमि को जोब आबाद करने में व्यवधान पैदा कर रहे है एवं वादग्रस्त भूमि को बिक्री करने हेतु धमकी दे रहे है तथा वादग्रस्त भूमि का मूल स्वरूप बदलने का प्रयास कर रहे है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि आवेदन को स्वीकार कर प्रतिवादी सं0–07 एव 08 को वादग्रस्त भूमि पर यथास्थिति बनाये रखने का आदेश देने की कृपा की जाय। प्रतिवादी सं0–01 ता 06 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा वादिनी के आवेदन पर नो आब्जेक्श लिखा गया। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद वादपत्र के मद सं0–02 की भूमि पर वादिनी एवं प्रतिवादी सं0–02 ता 06 का हिस्सा बकदर 1/4 के निस्वत बंटवारा करने हेतु तथा सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्त कर अलख तख्ता कायम करने के साथ–साथ अन्य अनुतोषों हेतु लाया गया है। प्रस्तुत वाद के वादिनी एवं प्रतिवादीगण हिन्दु मिताक्षरा कानून से शासित होते है। चन्द्रकांत दास अपनी जौजा एवं चार लडके नेपाल दास चन्द्र दास, रखाल दास उर्फ सवाल दास, पल्टु दास एवं दुलाल दास को छोडकर 1980 में मर गये तथा इनकी जौजा भी वर्ष 1985 में मर गयी।	

न्यायालय–नसीम नजर, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज

बंटवारा वाद सं0–39/2022

गीतारानी दासी.....वादी

बनाम

रखाल दास उर्फ सवाल दास एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 05.02.2025	चन्द्रकांत दास बंगाली शरणार्थी थे इनके सरकार द्वारा पुर्नवास विभाग से 04 एकड 18 डी0 भूमि मिला था जिसका जोत आबाद करके अपने परिवार का भरण पोषण करते थे तथा मेहनत मजदुरी करके 49 डी0 भूमि खरीद भी किये थे इसी भूमि को बंटवारा हेतु लाया गया है। अभिलेख अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि बंटवारा तलब जायदाद में वादिनी एवं प्रतिवादीगण के बीच कोई मुक्कमिल बंटवारा नहीं हुआ है तथा सुविधा अनुसार वादिनी एवं प्रतिवादीगण जोत आबाद करते आ रहे है। वादग्रस्त भूमि का सरंक्षक न्यायालय होता है तथा न्यायालय का परम कर्तव्य है कि वाद लबंन के दौरान वादग्रस्त भूमि का सरंक्षण न्यायालय करें, चुँकि प्रस्तुत वाद, बंटवारा वाद है जिसमें वादिनी द्वारा उसके तथा अन्य प्रतिवादीगण के हिस्से के लिए वाद लाया गया है तथा बंटवारा तलब एराजी चन्द्रकांत को बंगाली शरणार्थी होने के नाते सरकार द्वारा प्रदान किया गया था तथा कुछ भूमि चन्द्रकांत द्वारा स्वयं अर्जित की गई थी। जिस पर वादी एवं प्रतिवादीगण दोनों का हक एवं हिस्सा निहित है और अगर कोई भी पक्षकार वादग्रस्त भूमि को अथवा उसके कोई अंश को किसी भी प्रकार से हस्तानांतरण करता है तो इस प्रकार की भूमि का हस्तानांतरण किया जाना भी अनुचित है, चूँकि यह भूमि सरकार द्वारा पुर्नवास के लिए चन्द्रकांत को दिया गया था तथा हस्तानांतरण के उपरांत वाद की बहुलता	

न्यायालय–नसीम नजर, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज

बंटवारा वाद सं0–39/2022

गीतारानी दासी.....वादी

बनाम

रखाल दास उर्फ सवाल दास एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 05.02.2025	भी बढने की संभावना है तथा अगर वादी का आवेदन स्वीकार किया जाता है तो प्रतिवादीगण को कोई अपूर्णीय क्षति होना भी प्रतीत नहीं होता है। अतः न्यायहित में वादी का आवेदन दिनांक 24.10.2024 को स्वीकार करते हुये वादग्रस्त भूमि पर 06 माह के लिए यथास्थिति (Status Quo) बनाये रखे जाने का आदेश दिया जाता है। कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि संबंधित थानाध्यक्ष को आदेश की एक प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजें। उक्त आदेश में किया गया विनिश्चयन वाद के अंतिम न्याय निर्णयन को प्रभावित नही करेगा। उभय पक्षों को निर्देश दिया जाता है कि वाद के शीघ्र निष्पादन हेतु न्यायालय का सहयोग करें। आगामी दिनांक 04.04.2025 वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश नरकटियागंज	